

235

न्यायालय :- श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्पसागर

R-2702-II/12

गणेश प्रसाद तनय श्री मोतीलाल गुप्ता,

अरेड कृष्ण मठ काठ

निवासी- ग्राम नागौद जिला सतना

--- आपेदक

रा आज दि 24-8-12 को

11 विस्तार 11

स्तुत

क...
24-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

प्यारे लाल तनय राधिका प्रसाद,

निवासी- ग्राम बछौन तहसील पवई,

जिला पन्ना म.प्र.

--- अनापेदकगण

2- म.प्र. शासन

रा. पुनरीक्षण क्रमांक- अ/19 सन- 11-12

पुनरीक्षण तरफ से आपेदक अंतर्गत धारा- 50 म.प्र. भू. रा.

सीहता 1959

आपेदक नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करता है :-

आपेदक विद्वान अपर कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना के

02 / स्वमेव निगरानी / अ-21 सन - 2011-12 में पारित आदेश

दिनांक 12/07/2012 के विस्तार अन्य आधारों के अलावा निम्न

लिखित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

1- यही कि, विद्वान अधीस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश दिनांक - 12/07/12 गैर कानूनी अनुचित एवं निराधार

से निरस्तनीय हैं।

2- यही कि, विद्वान अधीस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश दिनांक - 12/07/12 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज

आधारित न होने के कारण निरस्तनीय हैं।

3- यही कि, विद्वान अधीस्थ न्यायालय द्वारा

शाखा प्रबन्धी (रा.प्र.)
आयुक्त न्यायालय, ग्वालियर

20-8-12

3

कोड...

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2702-दो/2012

जिला पन्ना

गणेश प्रसाद

विरुद्ध

प्यारेलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के नाम

07-03-2019

1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 02/स्व.निग./अ-21/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।

2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।


(आर.के.जेन)
सदस्य

3119